हिन्दी पत्राचार : राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों के सफल कार्यान्वयन के फलस्वरूप संस्थान में हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पण लेखन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । वर्ष 2020-21 के दौरान '**क**' एवं '**ख**' क्षेत्र में स्थित केन्द्र/राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत हिन्दी में पत्राचार किए गए जबकि '**ग**' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को 75 प्रतिशत से अधिक पत्र हिन्दी में भेजे गये । राजभाषा अधिनियम की धारा-3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी/हिन्दी में जारी किए जाते हैं । संस्थान में 90 प्रतिशत से अधिक टिप्पणियाँ मूल रूप से हिन्दी में लिखी जा रही हैं ।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि संस्थान में ई-मेल पत्राचार में भी हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है साथ ही संस्थान की विभिन्न गतिविधियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु उन्हें सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप इत्यादि पर भी हिन्दी में अपलोड किया जा रहा है ।